



// कार्यालय ज्ञाप //

राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 15.06.2021 निर्गत किया गया है, जिसमें वर्णित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु समय-समय मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद की बैठकों में लिए गये निर्णय/दिशा-निर्देशों का अनुपालन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विहित व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रो0 हिमांशु शेखर झा, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। इस हेतु पृथक से कोई मानदेय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक: [20/फा0सं0-709बी/विविध पत्रा0/शै0अनु0/2022-23 दिनांक: 09 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रो0 हिमांशु शेखर झा, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. गार्ड फाइल।


(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव